

10-07-17

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी एवं आहत सलीम एवं सद्दाम उपस्थित।

फरियादी एवं आहत ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की। अतः उभयपक्षों ने राजीनामा की संभावना हेतु मीडिएशन में प्रकरण रैफर किए जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत A fcons Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Company private Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री पंकज शर्मा, जेएमएफसी गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष आज दिनांक 03 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो दिनांक 20.07.17 तक सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 20.07.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

सही / -  
(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

उभयपक्ष पूर्ववत् ।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत ।

फरियादी सलीम उर्फ शमीम एवं आहत सिद्दाम की ओर से उसके पिता सलीम द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320-2, 320-4 द0प्र0स0 एवं राजीनामा आवेदन फरियादी के हस्ताक्षर, पहचान पत्र की प्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत पक्ष की पहचान अधिवक्ता श्री हरीशंकर शुक्ला तथा अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियाद की ओर से अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं एवं आहत नाबालिग सिद्दाम का पिता होकर उसकी ओर से राजीनामा करने में सक्षम हैं। राजीनामा के संबंध में फरियादी के कथन अंकित किया गया।

अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 294, 323 दो काउण्ट सहपठित धारा 34 तथा 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323 दो काउण्ट सहपठित धारा 34 तथा 506 भाग दो भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। प्रकरण में आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण में जब्त संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे, अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

सही / -  
(A.K.Gupta)  
Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)